न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मोहनसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी दुदौड तहसील खारची		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक : 22/01/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम दुदौड तहसील मारवाड जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 74 पर नायब तहसीलदार खारची द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 07.01.1983 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण सिलिंग प्रकरण संख्या 8/73 में पारित निर्णय की पालना में दायर किया गया है, जबकि निर्णय में उल्लेखित तथ्यों को ध्यान में नही रखा गया। सिलिंग प्राधिकृत अधिकारी सोजत ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया कि नये नाप में 119 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट के पिता के नाम बनती है व पुराने नाप के अनुसार 187 बीघा भूमि होती है। इस तरह अपीलाण्ट की माता मुस्मात कमल कंवर 135 बीघा भूमि नये सिलिंग कानून के अनुसार रखने की हकदार है। इसलिये पुराने नाप के अनुसार 52 बीघा भूमि तथा नये नाप के अनुसार 33 बीघा भूमि अधिग्रहण योग्य है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील नामान्तरकरण दायर करते वक्त 119 बीघा 18 बिस्वा में से 33 बीघा कम करने के पश्चात 86 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट के पक्ष में न छोड कर 69 बीघा 9 बिस्वा भूमि ही अपीलाण्ट की माता के खाते में शेष रखी। इस प्रकार करीब 17 बीघा 9 बिस्वा जमीन कम दर्ज की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय का विधिवत अवलोकन किये बिना निर्णय के विपरित जैर अपील नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार खारची द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ

अति. जिला कलक्टर, पाली

पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। ग्राम दुदौड़ का नामान्तरकरण संख्या 74 सिलिंग प्रकरण से सम्बन्धित आदेश एवं नई स्केल के फैसले के क्रम में दायर किया गया है, जिस नायब तहसीलदार खारची द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस नामान्तरकरण के जरिये कमलकंवर बेवा हरीसिंह राजपूत के नाम 69 बीघा 9 बिस्वा भूमि दायर की गई है। उक्त नामान्तरकरण सिलिंग प्रकरण में पारित निर्णय के अनुक्रम में दायर किया गया है। उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा सिलिंग प्रकरण संख्या 8/1973 में पारित आदेश दिनांक 06.05.1977 के अनुसार कमल कंवर के कब्जे में नये नाप के अनुसार 119 बीघा 18 बिस्वा अर्थात पुराने नाप के अनुसार 189 बीघा भूमि होना पाई जाती है। मु. कमल कंवर को सिलिंग कानून 1973 के अनुसार 135 बीघा भूमि धारण करने की अधिकारी मानते हुए नये कानून अनुसार 33 बीघा तथा पुराने कानून अनुसार 52 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये गये। इस प्रकार नये नाप अनुसार अपीलाण्ट की माता के हक में 86 बीघा 18 बिस्वा भूमि धारण करने की अधिकारी माना था। जेर अपील नामान्तरकरण के कॉलम सख्या 6 के इन्द्राज अनुसार खसरा नम्बर 295, 296, 297, 317, 318, 319, 431, 432 कुल खसरा 8 जिसका कुल रकबा 125 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से खसरा नम्बर 295, 296, 299, 431 व 432 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 69 बीघा 9 बिस्वा भूमि कमलकंवर बेवा हरीसिंह कौम राजपूत के नाम दायर की तथा खसरा नम्बर 317, 318, 319, 432 रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज की गई। जबकि निर्णयानुसार अपीलाण्ट की माता कमलकंवर के हक में 86 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज की जानी चाहिये थी, जो नही की गई। इस प्रकार जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये कमल कंवर के पक्ष में 17 बीघा 9 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई है, इस जैर अपील नामान्तरकरण सिलिंग प्रकरण संख्या 8/1973 में पारित निर्णय दिनांक 06.05.1977 के अनुरूप नही होने से कायम रखने योगय नही है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम दुदौड के नामान्तरकरण संख्या 74 पर नायब तहसीलदार खारची द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार मारवाड जंक्शन को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सिलिंग प्रकरण संख्या 8/1973 में पारित निर्णय दिनांक 06.05.1977 के अनसार जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/01/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली